वित्तीय स्वीकृति-2019-20

संख्या- 03/2020/1652/एक-5-2019-12/2015-टी0सी0

प्रेषक,

राधेश्याम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 09 जनवरी, 2020**

विषयः- जनपद शामली कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3166/12(भवन)-73/2011 (आवासीय) दिनांक 19 मार्च, 2019 एवं पत्र संख्या-1932/12(भवन)-73/2011 (आवासीय) दिनांक 19 नवम्बर ,2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शामली कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-921/एक-5-2015-12/2015, दिनांक 07 जुलाई, 2015 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 538.64 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-1276/एक-5-2016-12/2015, दिनांक 19 सितम्बर, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 338.64 लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार मानकीकृत लागत रू0 538.64 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत धनराशि से कार्य पूर्ण न होने के कारण जनपद शामली कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1159.02 लाख$जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) (रूपये ग्यारह करोड उनसठ लाख दो हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन शासनादेश संख्या-1474//एक-5-2019-12/2015-टी0सी0 दिनांक 02 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद शामली कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित धनराशि रू0 1159.02 लाख$जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) में से मानकीकृत लागत रू0 538.64 लाख को घटाते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 620.38 लाख आंकलित होती है। अतः जनपद शामली कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित धनराशि

रू0 1159.02 लाख की लागत की 05 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 562.429 लाख (रू0 पॉच करोड बासठ लाख बयालीस हजार नौ सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) प्रायोजना के संबंध में प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी ।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) मे दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(9) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रायोजना आकलित लागत में यथावत सम्मलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा ।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित बाट आउट/प्रोपराइटरी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(12) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/20119/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 मे उल्लिखित शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(14) प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधान, डिजाईन में संशोधन, उच्चविशिष्टियों का प्रयोग एवं स्वीकृत परियोजना के स्कोप परिवर्तन आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास -07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय- ज्ञाप सं01/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
राधेश्याम मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-03/2020/1652 (1)//एक-5-2019-12/2015-टी0सी0 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- जिलाधिकारी, शामली ।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लखनऊ/ संबंधित परियोजना प्रबंधक।

7- राजस्व अनुभाग-6

8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
राम सुमेर
उप सचिव।